

कोच्ची में 27 फरवरी 2026 को आयोजित 97 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड के 97 वीं बैठक 27 फरवरी 2026 को कोच्ची में आयोजित की गई। स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री संगीता विश्वनाथन की अध्यक्षता में बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू हुई।

वर्तमान में बोर्ड के 17 सदस्यों में से निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. सुश्री संगीता विश्वनाथन - अध्यक्ष
2. सुश्री पी हेमलता, आईएस - सचिव (प्रभारी), सदस्य
3. श्री सी. सदानंदन मास्टर - एमपी (राज्य सभा) सदस्य
4. श्री वी. अशोकन - सदस्य
5. श्री कोथुरी वेंकट सुब्बा राव - सदस्य
6. श्री शाजी राघवन नायर - सदस्य
7. श्री प्रसन्ना कुमार के. आर - सदस्य
8. श्री निलेश कुमार रसिकलाल पटेल - सदस्य
9. श्री अश्विन कुमार के. नायक - सदस्य
10. सुश्री भगवती महेश बल्दवा - सदस्य
11. श्री शंखरावह सरकार - सदस्य

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए:

1. डॉ ए आर रेमा श्री - निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त प्रभारी)
2. श्री बसिष्ठ नारायण झा - निदेशक (विपणन प्रभारी)
3. श्री जिजेश टी दास - निदेशक (प्रशासन प्रभारी)
4. श्री धर्मेन्द्र दास - निदेशक (विकास प्रभारी)

मद संख्या 1 : दिनांक 26.06.2025 को कोच्ची में आयोजित 96 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

बोर्ड ने 26 जून 2025 को कोच्ची में आयोजित 96 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त प्रसारित होने पर पुष्टि की गई।

मद संख्या 2 : की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

4. सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्थिति: विपणन निदेशक ने बोर्ड को सूचित किया कि सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की कुल भौतिक प्रगति लगभग 70% है, जिस पर अब तक 6.93 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 7 नवंबर 2025 को आयोजित टीआईईएस की अधिकार प्राप्त समिति की 21 वीं

बैठक में परियोजना को मई 2026 तक पूरा करने की समयसीमा बढ़ा दी गई। विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत अधिकांश सिविल कार्य पूर्ण होने के करीब हैं।

सचिव ने बताया कि परियोजना के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से सिविक में भूस्खलन और प्रतिकूल मौसम की वजह से हुई है। चूंकि यह परियोजना स्पाइसेस बोर्ड और टीआईईएस द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, इसलिए मंत्रालय द्वारा इसकी प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विपणन निदेशक समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करते हैं और उन्होंने दिसंबर 2025 में परियोजना स्थल का दौरा किया था। मई 2026 तक परियोजना के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2026 में एक और दौरा निर्धारित है।

अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में बोर्ड के कार्यालयों में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित समय के भीतर पूरे हो जाएं।

कार्यसूची मद संख्या 4. मसाला पार्कों में भूमि आवंटन की वर्तमान स्थिति: विपणन निदेशक ने सूचित किया कि मसाला पार्कों में भूखंडों के आवंटन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) को संशोधित किया गया है और कोटा, शिवगंगा, गुंटूर, गुना और रायबरेल्ल में रिक्त भूखंडों के लिए नए ईओएल जारी किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.11.2025 थी और 21 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच प्रक्रिया जारी है और मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।

सदस्य सुश्री भगवती बलदवा ने खाली भूमि और कम प्रतिसाद के बारे में जानकारी मांगी। विपणन निदेशक ने बताया कि वर्तमान में 76 भूखंड खाली हैं और देश भर में बैठकों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के माध्यम से निर्यातकों को आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं।

सदस्य श्री वी. अशोकन ने शिवगंगा स्पाइसेस पार्क में खाली भूमि की स्थिति के बारे में जानकारी ली। निदेशक (विपणन), अध्यक्ष और सचिव ने मिलकर मौजूदा चुनौतियों और शुरू की गई कार्रवाइयों के बारे में बताया और आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सदस्य श्री कोथुरी वेंकट सुब्बा राव ने गुंटूर स्पाइसेस पार्क में पहुँच मार्ग को चौड़ा करने, बाड़ लगाने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने उचित कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को उजागर करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। सचिव ने बताया कि अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही गुंटूर स्पाइसेस पार्क का दौरा करेगा।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदस्य श्री शंकरव सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक मसाला पार्क स्थापित करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। सदस्य सुश्री भगवती बलदवा ने सभी मसाला पार्कों में पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सभी मसाला पार्कों के प्रदर्शन को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

सदस्य श्री नीलेश कुमार रसिकलाल पटेल ने गुजरात सरकार से मेहसाना में भूमि आवंटन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। विपणन निदेशक ने बताया कि 2010 में ASIDE योजना के तहत भूमि आवंटित की गई थी। इस योजना के समाप्त होने और टीआईईएस योजना के लागू होने के बाद, गुजरात सरकार से 4.78 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की गई थी, लेकिन बार-बार संपर्क करने के बावजूद यह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

टीआईईएस के मानदंडों के अनुसार, संबंधित राज्य में किसी भी अवसंरचना/मसाला पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार/संस्था आवेदन कर सकती है, जबकि बोर्ड तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान कर सकता है।

कार्यसूची मद संख्या 12: केरल जलवायु अनुकूल कृषि-मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण (केईआरए)

परियोजना: विकास निदेशक ने केरल जलवायु अनुकूल कृषि-मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण (केईआरए) परियोजना के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में बोर्ड को जानकारी दी।

सदस्य सुश्री भगवती बलदवा ने जैविक मसाला खेती पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया और परिणामों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदस्य श्री प्रसन्ना कुमार के.आर. ने जैविक मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि बोर्ड की योजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अनुरूप बनाया जाए, जिसमें नर्सरी से लेकर निर्यात तक की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल हो और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी शामिल किया जाए।

कार्यसूची मद संख्या 14: नई छोटी इलायची किस्म (आईसीआरआई 10) को 'सुगंध भारती' के रूप में जारी करना।

निदेशक (अनुसंधान) ने बोर्ड को छोटी इलायची की नई किस्म आईसीआरआई-10 को 'सुगंध भारती' के रूप में जारी करने और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसकी रोपण सामग्री की आपूर्ति के बारे में सूचित किया।

सदस्य श्री वी. अशोकन ने तमिलनाडु में थाडियानकुडिसाई फार्म की स्थिति के बारे में, विशेष रूप से तमिलनाडु सरकार के साथ पट्टे की भूमि से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी ली।

निदेशक (अनुसंधान) ने सूचित किया कि चूंकि तमिलनाडु सरकार ने पट्टा अनुबंध समाप्त कर दिया है, इसलिए बोर्ड भवन का नवीनीकरण करने या फार्म में आगे की विकासात्मक गतिविधियों को करने में असमर्थ है।

सदस्य श्री वी. अशोकन ने कहा कि यह भूमि छोटी इलायची की खेती के लिए उपयुक्त है और क्षेत्र के किसान इलायची की खेती को प्राथमिकता देते हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए अपना समर्थन देने की पेशकश की।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि संबंधित बोर्ड सदस्य थाडियानकुडिसाई फार्म में भूमि संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

मद संख्या: 17- तकनीकी इस्तीफे पर अवकाश नकदीकरण भुगतान की रिलीज:

निदेशक (प्रशासन) ने सूचित किया कि सीएजी को प्राप्त जानकारी के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु यह मामला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेज दिया गया है। सचिव ने मंत्रालय को एक और पत्र भेजने तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार से भी इस मामले पर चर्चा करने का सुझाव दिया।

मद संख्या 3: स्पाइसेस पार्क्स में विकास शुल्क और वार्षिक पट्टा किराया में वृद्धि

बोर्ड ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:

क. सभी मसाला पार्कों (गुट्टर को छोड़कर) के लिए विकास शुल्क को संशोधित करके 7 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया है।

ख. गुट्टर स्पाइसेस पार्क के लिए विकास शुल्क को संशोधित करके 10 लाख रुपये प्रति एकड़ करना।

ग. भविष्य के आवंटनों के लिए वार्षिक पट्टा किराया बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ करना।

मद संख्या 4: विक्रेताओं के लिए इलायची स्पष्टीकरण और निरंतरता हेतु शाम की नीलामी

बोर्ड ने नियमित दैनिक सामूहिक नीलामी को प्रभावित किए बिना, शाम 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक विक्रेताओं के लिए इलायची की एक विशेष शाम की नीलामी आयोजित करने को मंजूरी दी।

श्री वी. अशोकन, सदस्य ने सूचित किया कि कुछ इलायची व्यापारी ई-नीलामी केंद्रों में इलायची का पुनर्वर्गीकरण कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो सकता है और उत्पादन के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जा सकते हैं। उन्होंने बोर्ड से इस मुद्दे पर ध्यान देने और इस प्रथा की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया।

मद संख्या 5: अप्रैल-दिसंबर 2024 की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

बोर्ड ने नोट किया.

श्री अश्विन कुमार के. नायक, सदस्य, ने यूएई के बाज़ार में जीरा और सौंफ की मिलावट से संबंधित मुद्दे को बोर्ड के ध्यान में लाया। बोर्ड ने इस मामले पर ध्यान दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि नए निर्यात नियमों को बनाने और लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श किया जाए। इस संदर्भ में, निदेशक (विपणन) ने सूचित किया कि बोर्ड अनिवार्य परीक्षण लागू होने से काफी पहले व्यापार संबंधी सलाह जारी करता है।

विपणन निदेशक ने स्पष्ट किया कि यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किए जाने वाले माल के लिए नए नियम, आयात करने वाले देशों के नियमों के अनुरूप लागू किए गए हैं। सचिव ने आगे बताया कि निर्यातकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु नियमों को सरल और सुव्यवस्थित करने के प्रयास जारी हैं और हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

मद संख्या 6: संशोधित अनुमान (आरई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्पाइसेस बोर्ड को आवंटित निधि

बोर्ड ने नोट किया.

सदस्यों ने सुझाव दिया कि स्पाइसेस बोर्ड के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की मांग को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

मद संख्या 7: वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

बोर्ड ने नोट किया.

मद संख्या 8: वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान इलायची उत्पादकता पुरस्कार (बड़ी और छोटी)

बोर्ड ने नोट किया.

मद संख्या 9: स्पाइसेस बोर्ड के संशोधित भर्ती विनियम

बोर्ड ने भर्ती विनियम, 2026 के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो अनुलग्नक-III में संलग्न है।

सदस्य श्री प्रसन्ना कुमार के.आर. ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों की कमी वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए। अध्यक्ष ने सलाह दी कि जहां नियमित कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त हो, वहां संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने आगे निर्देश दिया कि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष ने प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर ओबीसी आरक्षण पर विचार करने का आह्वान किया। सचिव ने सूचित किया कि इस मामले पर लागू रोस्टर प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

मद संख्या 10: केंद्रीय/राज्य सरकारी पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए बोर्ड से तकनीकी रूप से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को ग्रहणाधिकार प्रदान करना

बोर्ड ने भारत सरकार के नियमों के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार के अधीन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए तकनीकी रूप से इस्तीफा देने वाले बोर्ड के कर्मचारियों को दो साल की अवधि के लिए, असाधारण मामलों में एक वर्ष तक बढ़ाए जा सकने वाले, ग्रहणाधिकार प्रदान करने को मंजूरी दी।

मद संख्या 11: उपाध्यक्ष का चुनाव

श्री सी. सदानंदन मास्टर, सदस्य ने उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री शाजी राघवन नायर का नाम अगले एक वर्ष के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से शाजी राघवन नायर को एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना।

मद संख्या 12: मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 11 (2) और मसाला बोर्ड (बैठक) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार स्थायी समितियों का पुनर्गठन

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने उपलब्ध सदस्यों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया।

क. कार्यकारी समिति

- i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड-अध्यक्ष
- ii. बोर्ड के उपाध्यक्ष
- iii. मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य (वार्षिक रूप से बारी-बारी से) - रिक्त
- iv. वित्त संबंधी मामलों से जुड़े केंद्रीय सरकारी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - रिक्त
- v. निदेशक (प्रशासन)
- vi. मसालों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - श्री प्रसन्ना कुमार के.आर.
- vii. मसालों के निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - श्री नीलेश कुमार रसिकलाल पटेल

ख. इलायची पर अनुसंधान एवं विकास समिति

- i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड - अध्यक्ष
- ii. बोर्ड के उपाध्यक्ष
- iii. मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य (वार्षिक रूप से बारी-बारी से) - रिक्त
- iv. कृषि संबंधी मामलों से जुड़े केंद्रीय सरकारी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - रिक्त
- v. निदेशक (प्रशासन)
- vi. एलेटेरिया इलायचीम मैटन मसालों के उत्पादक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य-श्री वी. अशोकन
- vii. मसालों के उत्पादक अमोमम सबुलेटम रॉक्सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - रिक्त
- viii. आईआईएसआर कोझिकोड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - रिक्त
- ix. इलायची अनुसंधान के प्रभारी अधिकारी - निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड
- x. इलायची विकास के प्रभारी अधिकारी - निदेशक (विकास), स्पाइसेस बोर्ड

ग. मसालों के लिए विपणन विकास समिति

- i. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड-अध्यक्ष
 - ii. बोर्ड के उपाध्यक्ष
 - iii. सीएफटीआरआई, मैसूर के निदेशक - रिक्त
 - iv. वाणिज्य संबंधी मामलों को संभालने वाले केंद्रीय सरकारी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य - रिक्त
 - v. व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्यों को बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा।
1. श्री अश्विन कुमार के. नायक
 2. सुश्री भगवती महेश बलदवा

3. श्री शंखरावह सरकार

vi. बोर्ड द्वारा नियुक्त भारतीय निर्यात निरीक्षण एजेंसी का एक अधिकारी - रिक्त

vii. मसाला विपणन विकास से संबंधित बोर्ड का एक अधिकारी - निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड

viii. मसालों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य

1. श्री. कोथुरी वेंकट सुब्बा राव

2. श्री. प्रसन्ना कुमार के.आर.

सामान्य चर्चाएँ

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि फ्लेवरिड स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड के कामकाज से संबंधित विस्तृत जानकारी अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष ने स्पाइसेस बोर्ड के लिए गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की व्यवहार्यता का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अध्यक्ष ने स्पाइसेस बोर्ड के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों के हिस्से के रूप में अगले विश्व मसाला कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) के आयोजन का सुझाव दिया।

बैठक दोपहर 2.00 बजे अध्यक्ष और सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।